[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 38/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा0का0नि0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 117, तारीख 13 अक्तूबर, 1961, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 1296(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 1961 में प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वायुयान के इंजनों और उसके पुर्जों को जब उन्हें निर्यात किए जाने के पश्चात् भारत में पुन: आयात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, से और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से, जो मरम्मत की लागत, यदि कोई हो (जिसके अंतर्गत सामग्री और साथ ही श्रम, बीमा और भाड़े के लिए संदत्त प्रभार भी हैं), पर संदेय सीमाशुल्क से अधिक है, निम्नलिखित मामलों में छूट प्रदान करती है, अर्थात् :--

(1) इंजन और कतिपय विनिर्दिष्ट पुर्जे, जो विदेश में खराब हो जाते हैं और उन्हें पुन: आयातित किया जाता है ;

(2) त्रुटिपूर्ण इंजनों या पुर्जों के प्रतिस्थापन के लिए सहायता के रूप में विदेश भेजे गए और तत्पश्चात् उन्हें किसी वायुयान पर संस्थापित किए बिना उसी दशा में भारत में वापस लाए गए इंजन या कतिपय विनिर्दिष्ट पुर्जे ;

(3) किसी विदेशी कंपनी को भारतीय कंपनी द्वारा उधार दिए गए इंजन और कतिपय विनिर्दिष्ट पुर्जे ।

यह रियायत, ऐसी शर्तों और ऐसी प्रक्रिया जो समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, के अनुपालन के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगी ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि विष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार